2015 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. नई धारा 18—क का अन्तःस्थापन।
6. नई धारा 20—ख का अन्तःस्थापन।
7. धारा 30 का संशोधन।
8. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

2015 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 10 नवम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) में,—

(क) उप खण्ड (4) में, ''1956'' अंकों के स्थान पर ''2013'' अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप खण्ड (5) में, ''भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में, ''भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiii-क) लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन निर्मित की जाने वाली रज्जुमार्ग परियोजनाओं की दशा में, मकानों या भवनों के छत शिखर और केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे;"।

नई धारा 18—क का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"18—क. लोक निजी भागीदारी तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो रज्जु मार्ग परियोजनाओं की भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) का नियतन.—(1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं के लिए भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) की अधिकतम सीमा नियत और अधिसूचित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।"।

नई धारा 20—ख का अन्तःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 20—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"20—ख. बीमा रक्षण.—(1) किसी दुर्घटना या अनिष्ट की दशा में संप्रवर्तक, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं की आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्तृत बीमा रक्षण प्रदान करेगा :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी रज्जु मार्ग परियोजनाओं में हुई किसी दुर्घटना या अनिष्ट की बाबत किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

(2) विस्तृत बीमा की दर विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।"।

धारा 30 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 30 में, ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 के उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

8. (1) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) हिमाचल प्रदेश राज्य में आकाशी रज्जु मार्गों के सन्निर्माण और विनियमन करने का उपबन्ध करता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य उस समय सीमित सड़क संयोजकता और दूर–दराज क्षेत्रों से सड़क तक माल का परिवहन करने के दृष्टिगत राज्य में माल का परिवहन करना था। समय के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है और सरकार ने इस दिशा में विभिन्न पग उठाए हैं तथा वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस पद्धति पर लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) और बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अन्तर्गत रज्जु मार्गों को स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमन्त्रित किया है। ऐसी परियोजनाओं में अत्यधिक निवेश अन्तर्वलित होता है, इस प्रकार की परियोजनाओं में अन्तर्वलित निवेशों और दुर्घटनाओं या अनिष्ट के जोखिम के दृष्टिगत उक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। पर्यटन विभाग ने भी पाया है कि अधिनियम के उपबन्ध यात्रियों के बीमा रक्षण, भवनों के छत शिखर से गुजरने वाले रज्जु मार्गों के लिए न्यूनतम हेडवे और भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) आदि के नियतन के सम्बन्ध में लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) या बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) के अन्तर्गत बनाई जाने वाली यात्री रज्जु परियोजनाओं के लिए हितकर नहीं है। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए और भवनों के छत शिखर और रज्जु मार्गों के केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे बनाए रखने, भाड़े (फेअॅर) की अधिकतम सीमा का नियतन करने तथा आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बीमा रक्षण प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3) 6–11–2015 को प्रख्यापित किया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10–11–2015 को प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख.................................., 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

(7)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(डॉ० बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला :

तारीख ...., 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

2. **परिभाषाएं**.—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :—

(क) से (ञ) XXXX XXXX XXXX XXXX

(त) "संप्रवर्तक" से अभिप्रेत है—

(1) राज्य सरकार,
(2) स्थानीय प्राधिकारी,
(3) कोई व्यक्ति,
(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई कम्पनी या,
(5) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) में यथा परिभाषित कोई रेल कम्पनी, जिसके पक्ष में धारा 7 के अधीन आदेश दिया गया है या जिस पर आकाशी रज्जु मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग के लिए उस अधिनियम द्वारा या तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा संप्रवर्तक को प्रदत्त अधिकार या उस पर अधिरोपित दायित्व न्यागत हुए हैं;

(थ) से (ध) XXXX XXXX XXXX XXXX

5. **प्रारम्भिक अन्वेषण**.—इस अधिनियम तथा भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार संप्रवर्तक को ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगी जैसी कि आवश्यक हो और उससे ब्यौरे–वार प्राक्कलन, योजना (प्लान) मंजूरी विनिर्देश और ऐसी और सूचनाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसा वह प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करने के लिए आवश्यक समझे। संप्रवर्तक इस धारा के अधीन उपगत व्यय के लिए किसी भी स्थिति में सरकार से किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु संरचनात्मक डिजाईन से सम्बन्धित प्राक्कलन, योजना (प्लान) विनिर्देश, सामग्री की क्वालिटी, सुरक्षा की बातें (फैक्टर), भार की संगणना का ढंग, उनके अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं और सम्यक् रूप से अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर'' से ऐसी अर्हताएं और अनुभव, जो विहित की जाएं, रखने वाला स्नातक इंजीनियर अभिप्रेत है।

6. **सन्निर्माण प्राधिकृत करने वाले प्रस्तावित आदेश का प्रकाशन और ऐसे आदेश की अन्तर्वस्तु.**—(1) राज्य सरकार किसी संप्रवर्तक द्वारा दिए गए आवेदन पर और धारा 5 के अनुसार दिए गए ब्यौरे पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार उचित समझे, ऐसे संप्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग के साथ–साथ आकाशी रज्जु मार्ग के सन्निर्माण को प्राधिकृत करने वाले प्रस्तावित आदेश के प्रारूप को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर सकेगी।

(2) प्रारूप के साथ एक सूचना इस कथन के साथ प्रकाशित की जाएगी कि ऐसा कोई आदेश या सुझाव जो कोई व्यक्ति प्रस्तावित आदेश के बारे में देना चाहता है तो यदि वह सूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तो प्राप्त किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, दिए जाने वाले आदेश के आशय की सार्वजनिक सूचना उक्त क्षेत्र के भीतर या उक्त मार्ग के साथ सुविधाजनक स्थानों पर दिलवाएगी और जहां तक सुविधापूर्वक संभव हो ऐसी भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को जिस पर ऐसा मार्ग स्थित है, ऐसी ही सार्वजनिक सूचना की तामील कराएगी और प्रस्तावित आदेश की बाबत ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, विचार करेगी।

(4) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :—

(i) वह समय, जिसके भीतर आकाशी रज्जु मार्ग के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी जुटाई जायेगी;

(ii) वह समय, जिसके भीतर सन्निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा;

(iii) वह समय, जिसके भीतर सन्निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा;

(iv) वह शर्त, जिसके अधीन संप्रवर्तक को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायत प्रत्याभूति (गारंटी) या वित्तीय सहायता दी जा सकेगी;

(v) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्रय का अधिकार;

(vi) लेखा संपरीक्षा और लेखा सम्बन्धी नियम;

(vii) विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम् सम्बन्धी नियम;

(viii) संरचनात्मक डिजाईन, सामग्री की क्वालिटी, सुरक्षा के तथ्यों, प्रतिबलों की संगणना की पद्धति के बारे में विनिर्देश तथा अन्य ऐसे तकनीकी ब्यौरे जो आवश्यक समझे जाएं;

(ix) संविधान द्वारा यथा परिभाषित रेल के सिवाए सड़कों और संचार के अन्य सार्वजनिक रास्तों के ऊपर और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मन्जूरी से ऐसी रेल पर आकाशी रज्जु मार्ग के सन्निर्माण सम्बन्धी नियम;

(x) वे शर्तें, जिनके अधीन संप्रवर्तक अपने अधिकारों का सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को विक्रय या अन्तरण कर सकेगा;

(xi) वे शर्तें, जिनके अधीन आकाशी रज्जु मार्ग का ग्रहण सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या अपने द्वारा संप्रवर्तक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाने के लिए किया जा सकेगा;

(xii) आकाशी रज्जु मार्ग पर उपयोग की जाने वाली गतिदायी शक्ति और वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अनुसार ऐसी शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा;

(xiii) रज्जु के विभिन्न भागों के अधीन अनुरक्षित किया जाने वाला न्यूनतम "हेडवे";

(xiv) आकाशी रज्जु मार्ग के अधीन वे बिन्दु जिन पर सेतु या रक्षक सनिर्मित किए जाएंगे और रखे जाएंगे;

(xv) वह यातायात जो रज्जु मार्ग पर वहन किया जा सकेगा, वह यातायात जिसको वहन करने के लिए संप्रवर्तक आबद्ध होगा और वह यातायात जिसको वहन करने से वह इन्कार कर सकेगा;

(xvi) वह अधिकतम "रेट" जो संप्रवर्तक द्वारा प्रभारित किया जा सकेगा, वे परिस्थितियां जिनमें तथा वह रीति जिसमें वे "रेट" सरकार द्वारा पुनरीक्षित किए जा सकेंगे;

(xvii) संप्रवर्तक के आवेदन के मन्जूर किए जाने की दशा में, उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की जाने वाली रकम, यदि कोई हो; और

(xviii) ऐसी अन्य बातें जो सरकार आवश्यक समझे।

30. संप्रवर्तक की ओर से भूमि का अधिग्रहण.–राज्य सरकार किसी आकाशी रज्जु मार्ग का सन्निर्माण, विस्तार, कार्यकरण या प्रबन्ध करने के लिए किसी भूमि को प्राप्त करने के इच्छुक किसी संप्रवर्तक द्वारा आवेदन दिए जाने पर यदि वह ठीक समझे, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी ओर से, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो।

12.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 23 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 6.
5. Insertion of new section 18-A.
6. Insertion of new section 20-B.
7. Amendment of section 30.
8. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.

Bill No. 23 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 10th day of November, 2015.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (k),-

(a) in sub-clause(iv), for the figures "1956", the figures "2013" shall be substituted.; and

(b) in sub-clause(v), for the words, figures and signs "Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)", the words figures and signs "Railways Act, 1989 (24 of 1989)" shall be substituted.

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, for the words, figures and signs " of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894(1 of 1894)", the words, figures and signs "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(30 of 2013)" shall be substituted.

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xiii-a) the minimum headway of 10 meters between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin, in the case of ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) mode;".

Insertion of new section 18-A.

5. After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted , namely:--

"18-A. Fixation of fare rates of Public Private Partnership and Built Operate and Transfer Ropeway Projects.-(1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rates for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode.

(2) Every application made under this section for fixation of fare rates shall be decided within a period of 90 days from the date of receipt of such application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for fixation of fare rates.".

Insertion of new section 20-B.

6. After section 20-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

"20-B. Insurance cover.-(1) In case of any accident or mishap, the promoter shall provide comprehensive insurance cover, in the manner as may be prescribed, to the persons availing aerial ropeway services of the Ropeway Projects built under Public Private Partnership(PPP) or Built Operate and Transfer (BOT) mode:

Provided that the State Government shall not be liable for any claim on account of any accident or mishap in such Ropeway Projects.

(2) The rate of comprehensive insurance shall be decided by the State Government on the advice of the Expert Committee.".

Amendment of section 30.

7. In section 30 of the principal Act, for the words, figures and signs "Part VII of the Land Acquisition Act, 1894(1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act", the

words, figures and signs "the Right to Fare Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) whether the said promoter is or is not a company as defined in the said Act" shall be substituted.

Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.

8. (1)The Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act,1968 (Act No. 7 of 1969) provides for construction and regulation of Aerial ropeways in the State of Himachal Pradesh. This Act was basically aimed at transportation of goods in the State, in view of the limited road connectivity at that time and for transportation of goods from interior areas to the road side. With the passage of time, Himachal Pradesh has emerged as a big tourist destination and the Government has taken various initiatives in this direction and invited the private sector to set up ropeways under Public Private Partnership(PPP) and Build Operate and Transfer(BOT) mode on an annual license fee method. Such projects involve heavy investment, the existing provisions of the said Act are considered to be not adequate keeping in view the investments and risks of accidents or mishap involved in such projects. The Department of Tourism has also felt that the Act, is also not conducive for passenger ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) or Build Operate and Transfer (BOT) mode in relation to insurance cover to passengers, minimum headway for passing of the ropeways from the rooftop of the buildings and fixation of fare rates etc. As such, it was considered necessary to remove these shortcomings by making suitable amendments in the Act *ibid* and to make a provisions for maintaining minimum 10 meters headway between the rooftop of the buildings and the base of the cabin of ropeway, fixation of maximum limit of fare and for providing of insurance cover to the persons availing aerial ropeway services.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance. No. 3 of 2015) on 06-11-2015 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 10-11-2015. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:
The..........., 2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(Dr. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

DHARAMSHALA:
The.............., 2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS ACT,1968(ACT NO. 7 OF 1969) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) to (j) xxxx xxxx xxxx xxxx

(k) "promoter" means-

(i) the State Government,

(ii) a local authority,

(iii) any person,

(iv) any company incorporated under the Companies Act, 1956, or

(v) any railway company as defined in the Indian Railways Act, 1890(9 of 1890), in whose favour an order has been made under section 7, or on whom the rights and liabilities conferred and imposed on the promoter by this Act, and by rules and orders made under this Act, as to the construction, maintenance and use of an aerial ropeway, have devolved;

(l) to (n) xxxx xxxx xxxx xxxx

5. Preliminary investigation.--Subject to the provisions of this Act and section 4 of the Land Acquisition Act, 1894(1 of 1894), the State Government may accord sanction to the promoter to make such surveys, as may be necessary and require him to submit such detailed estimates, plans, sanctions, specifications and such further information as it may deem necessary for the full consideration of the proposal. The promoter shall not in any event be entitled to claim any compensation from the Government for any expense incurred under this section:

Provided that the estimates, plans, specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards and shall be duly certified by a qualified structural Engineer.

Explanation.-- for the purposes of this section a 'qualified structural Engineer' means a graduate engineer having such qualifications and experience as may be prescribed.

6. Publication of proposed order authorizing construction and contents of such order.-(1) The State Government may, on application made by any promoter and after due consideration of the details supplied in accordance with section 5, publish in the Official Gazette a draft of the proposed order authorising the construction of an aerial ropeway within any specified area or along any specified route by or on behalf of such promoter, subject to such restrictions and conditions as the State Government may deem proper.

(2) A notice shall be published with the draft stating that any objection or suggestion which any person may desire to make with respect to the proposed order will, if submitted to the State Government on or before a date to be specified in the notice, be received and considered.

(3) The State Government shall cause public notice of the intention to make the order to be given at convenient places within the said area, or along the said route and shall, so far as may be conveniently possible, cause a like notice to be served on every owner or occupier of land over which such route lies, and shall consider any objection or suggestion with respect to the proposed order which may be received from any person within a date to be specified in such notice.

(4) The draft of the proposed order may specify,--

(i) a time within which the capital required for the construction of the aerial ropeway shall be raised;

(ii) a time within which the construction shall be commenced;

(iii) a time within which the construction shall be completed;

(iv) the condition under which a concession, guarantee, or financial assistance may be given by the State Government or a local authority to the promoter;

(v) the right of purchase by the State Government or a local authority;

(vi) the rules regarding audit and accounts;

(vii) the rules regarding arbitration for the settlement of disputes;

(viii) the specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses and other such technical details as may be considered necessary;

(ix) the rules relating to the construction of the aerial ropeway over roads and other public ways of communication, except railways defined by the

Constitution and, with the previous sanction of the Central Government, over such railways;

(x) the conditions under which the promoter may sell or transfer his rights to the State Government, or to a local authority, or to a person;

(xi) the conditions under which the aerial ropeway may be taken over by the State Government to be worked by itself or by a local authority or by a person other than the promoter;

(xii) the motive power to be used on the aerial ropeway and the conditions, if any, on which such power may be used;

(xiii) the minimum headway to be maintained under different parts of the rope;

(xiv) the points under the aerial ropeway at which bridges or guards shall be constructed and maintained;

(xv) the traffic which may be carried on the ropeway, the traffic which the promoter shall be bound to carry and the traffic which he may refuse to carry;

(xvi) the maximum rates that may be charged by the promoter, and the circumstances in which, and the manner in which, these rates may be revised by the State Government;

(xvii) the amount of security, if any, to be deposited by promoter in the event of his application being granted; and

(xviii) such other matters as the State Government may deem necessary.

30. Acquisition of land on behalf of a promoter.-The State Government may, if it thinks fit, subject to the provisions of the Act, on the application of any promoter desirous of obtaining any land for the purpose of construction, extending, working or managing an aerial ropeway, acquire on his behalf such land under the provisions of Part VII of the Land Acquisition Act, 1894(1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the land Acquisition Act.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1478—जु0 / 2015—28—11—2015——250 प्रतियां।